Impact Factor 4.574

ISSN 2349-638x

Peer Reviewed And Indexed

AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (AIIRJ)

Monthly Journal

VOL-V ISSUE-VIII Aug. 2018

Address
· Vikram Nagar, Boudhi Chouk, Latur.
· Tq. Latur, Dis. Latur 413512 (MS.)
· (+91) 9922455749, (+91) 8999250451

Email
· aiirjpramod@gmail.com
· aayushijournal@gmail.com

Website
· www.aiirjournal.com

CHIEF EDITOR – PRAMOD PRAKASHRAO TANDALE

नागपूर तथा राजकोट कि किशोरिओ की विवाह तथा ससुरालवालो के प्रति अभिवृत्ती का तुलनात्मक अध्ययन

जागृति चंद्रेश शुक्ला डॉ. नीलिमा सिन्हा

सामान्य सांराश

विभिन्न समाजों में विवाह का रूप भिन्न-भिन्न पाया जाता हैं। इसका मूल कारण यह हैं, विवाह एक संस्था ही नहीं हैं।, बल्कि यह एक संस्कृति है। विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता होने के कारण विवाह के रूप मे अन्तर होना भी बहुत स्वाभाविक हैं। कुछ समाजों में विवाह का स्वरूप धार्मिक होता हैं। जबकि कुछ संस्कृतियों में विवाह को एक समझौते के रुप में माना जाता हैं।वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि विवाह और परिवार एक-दूसरे के पूरक हैं। क्योकि एक और तो विवाह कर पुरूष ओर स्त्री परिवार की स्थापना करते है। तो दूसरी ओर परिवार पति और पत्नी के बीच के दाम्पत्य सम्बन्ध को स्थायित्व एवं दृढ़ता प्रदान करता हैं। प्रस्तुत विषय के अभ्यास के लिए हमने भारत देश के दो राज्य महाराष्ट्र एवंम गुजरात इन दो राज्य से एक-एक शहर नागपूर तथा राजकोट का चयन किया। इस अध्यन को पूर्ण करने के लिए दोनो शहरो के दो-दो महाविद्यालयो से ५०-५० किशोरियॉ का चयन किया गया जिनकी आयु सीमा १६ से १६ वर्ष निर्धारित कि गई थी एवंम tपरिक्षण व्दारा इस अध्ययन का निष्कर्ष निकाला गया की किशोरियॉ विवाह एवंम ससुराल वालो के प्रति अपनी क्या अभिवृत्ती दर्शाती है इस अभ्यास से यह निष्कर्ष निकलता है कि नागपूर और राजकोट कि किशोरियो कि विवाह तथा ससुराल वाले के प्रति अभिवृत्ती में अंतर है।

संकेत शब्द : किशोरियॉ, विवाह, ससुरालवाले, अभिवृत्ती

परिचय :

विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्था हैं। यह न केवल परिवार जैसी व्यवस्था का आधार है, वरन् संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक पृथक रूप प्रदान करने में इसकी भूमिका रहती हैं। यद्यपि विवाह एक सर्वव्यापी संस्था हैं। विभिन्न समाजों में इसका रूप भिन्न-भिन्न पाया जाता हैं। इसका मूल कारण यह हैं,विवाह एक संस्था ही नहीं हैं।, बल्कि यह एक संस्कृति है। विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता होने के कारण विवाह के रूप मे अन्तर होना भी बहुत स्वाभाविक हैं। कुछ समाजों में विवाह का स्वरूप धार्मिक होता हैं। जबकि कुछ संस्कृतियों में विवाह को एक समझौते के रुप में माना जाता हैं। कुछ पश्चिमी समाजों में विवाह मित्रता का एक सुविधापूर्ण बन्धन हैं।, जबकि अनेक आदिम समूहों में विवाह को एक आर्थिक संस्था तक मान लिया जाता हैं।, क्योंकि उनके यहाँ स्त्री को ही सम्पत्ति के रूप में देखा जाता हैं। इनके अतिरिक्त विवाह एक ऐसी संस्था हैं। जो सभी समाजों में स्त्री औंर पुरूष को यौनिक सम्बन्धों की नियमबद्ध पूर्ति करने की अनुमति प्रदान करती हैं। और समाज की निरंतरता को बनाये रखने का प्रयत्न करती हैं। जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्न हैं।, हमारे यहाँ विवाह एक स्थायी धार्मिक बन्धन हैं। जिसे हिन्दू सामाजिक मूल्यों के अनुसार किसी भी स्थिती में तोड़ना उचित नही समझा जाता।

परिभाशाएँ

साधारणतः विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो कि स्त्री पुरूष को कुछ विशेष नियमों के अन्तर्गत यौन-सन्तुष्टि के अवसर प्रदान करती है और परिवार में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का निर्धारण करती हैं।

लुण्डबर्ग के अनूसार

"विवाह-वे नियम एवं विधान जो पति एवं पत्नी के, एक-दूसरे सम्बन्ध में, अधिकारों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों को परिभाषित करते हैं।"

बोगार्ड्स के अनूसार

"विवाह पुरूषों एवं महिलाओं को पारिवारिक जीवन में प्रवेश दिलाने वाली एक संस्था है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण विवेचन करने से ये स्पष्ट होता हैं। कि विवाह एक संस्था हैं। यह एक अपेक्षाकृत स्थायी संस्था है। यह विवाह कर सकने की योग्यता से युक्त पुरूषों एवं महिलाओं को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देने वाली संस्था हैं। यह पति एवं पत्नी के बीच के सामाजिक सम्बन्ध, उनके पारस्परिक अधिकारों, दायित्वों एवं विषेशाधिकारों को परिभाषितकरने वाली संस्था हैं।

इस संस्था की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती हैं। यह मूल रूप में परिवार से जुड़ी हुई संस्था होती हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि विवाह और परिवार एक-दूसरे के पूरक हैं। क्योकि एक और तो विवाह कर पुरूष ओर स्त्री परिवार की स्थापना करते है। तो दूसरी ओर परिवार पति और पत्नी के बीच के दाम्पत्य सम्बन्ध को स्थायित्व एवं दृढ़ता प्रदान करता हैं। दोनों ही अति प्राचीन, सम्भवतः प्राचीनतम संस्थाएँ है। दोनों ही अधिकारों एवं दायित्वों का समन्वित स्वरूप हैं। तथा दोनों ही पारस्पारिक सामंजस्य पर आधारित है। विवाह स्त्री और एक पुरूष के परस्पर यौन सम्बन्ध स्थापित करने, सन्तानोत्पत्ति करने, उत्पन्न सन्तान की देख-रेख करने तथा उनको अपने पैरों पर अपने-आप खड़ा होने योग्य बनाने के लिए सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्रदान करता हैं। यह एक चिरन्तन संस्था हैं। यद्यपि विभिन्न समाज एवं समय में इसके विधि-विधानों में भिन्नता होती हैं। इस में परिवर्तन भी होते रहते हैं।

आज की पीढी की किशोरीयाँ विवाह जैसे बंधन मे बंधना नहीं चाहती है । पहले वो अपने जीवन मे प्रगती करना चाहती है । अपने पैरो पर खडे रहना चाहती है। अधिकांशतः यह देखा गया है । की वह किसी भी तरीके का समझौता अपने भविष्य के साथ नहीं करना चाहती । इसके लिए अगर उसे अपना भरापूरा परिवार छोडना पडे तो वो तैयार है। परंतु संयुक्त परिवार में अपना बचपन बिताने वाली कई लडकियाँ अपने मन की महत्वकांक्षा को मारते हुऐ अपने नैतिक कर्तव्य को अपने परिवार से प्राप्त संस्कार एवंम संस्कृती को निभाते हुवे कई बार खुद समझौता कर लेती है । आज की किशोरीयाँ अपने विवाह जीवन को लेकर उत्साहित रहती है परंतु अपने परिवार में हम दो हमारे दो/एक कि गणना करती है । ज्यादातर उन्हें बुर्जेग लोगो की दखल अंदाजी पंसद नहीं है । इसीलिए आजकल की किशोरीयो को परिवार की ईकाई पंसद नहीं है । उन्हें मुक्त विचरण करना पंसद है । किशोरीयाँ आजाद खयाल की है । उन्हें किसी बडे का रोकना टोकना खुद पर किसी के व्दारा लगाया जानेवाला अंकुश पंसद नहीं है ।

उद्देष

१)नागपूर तथा राजकोट की किशोरीयों की विवाह के प्रति अभिवृत्ती में अंतर होता हैं।

२)नागपूर तथा राजकोट की किशोरीयों की ससुरालवालों के प्रति अभिवृत्ती में अंतर होता हैं।

गृहितकृत्य/गृहितके

१)नागपूर तथा राजकोट की किशोरीयों की विवाह के प्रति अभिवृत्ती में अंतर होता हैं।

२)नागपूर तथा राजकोट की किशोरीयों की ससुरालवालों के प्रति अभिवृत्ती में अंतर होता हैं।

वाडमयीन साहित्य का पूनरावलोकन

१. कुंदू, रा. तथा माथूर एस.ए., (२०००) ने एक अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि विवाह तथा वैवाहिक संबंध के बारे मे नवयुवको की अभिवृत्ती क्या है। २००० युवको, युवतीयों को इस अध्ययन मे शमिल किया गया जिनकी आयु २५-३० थी। अधिकतर युवक युवतीयो का मानना था कि विवाह यशस्वी तब ही हो. सकता है, जब जीवन साथी की बौद्धिक क्षमता, शिक्षा तथा सामाजिक स्तर में मेल हो। युवतियाँ यह मानती है कि विवाह का महत्व अपनी जगह है, तथा नौकरी विवाह के बाद भी की जा सकती हैं। पर युवको का मानना था कि विवाह देर से हो

सकता है लेकिन विवाह से पूर्व अपनी नौकरी मे सफलता हासिल करना अधिक महत्वपूर्ण है। अंतर जातीय विवाह मे बहुतांश युवक नें विश्वास जताया ।

२. मेहता मनोज (एप्रिल २००५) ने एक लेख प्रसिद्ध किया जिसमे उन्होने ''प्रेम विवाह या पालक संमत विवाह ''इस पर किये गए एक सर्वेक्षण का निष्कर्ष बताया। उनके अनुसार आज की, शहरी युवा पीढी यह मानती है कि विवाह-प्रेम विवाह हीं होना चाहिए। विवाह के पश्चात अगर पतिपत्नी के बिच समायोजन नही होता हैं। तो वे किसी और को उसके लिए जिम्मेदार नही मान सकते हैं। विवाह को बनाए रखने का प्रयास 'प्रेम विवाह' मे अधिक होता है यह उनका मानना हैं।

'' विवाह के बारे में नागपूर तथा राजकोट की किशोरीयों की अभिवृत्ती ''

सारणी क्र. १

अ.क्र.	शहर	अभिवृत्ती	कुल	मध्यमान	मध्यका	प्रमाण विचलन	ज.जमेज
१	नागपूर	विवाह के प्रति	५०	८६.२	८६	६.४	२.७२
२	राजकोट	विवाह के प्रति	५०	८०.८	८०	१०.४	

सारणी क्र. १ के अनुसार नागपूर की किशोरीयों की विवाह के प्रति अभिवृत्ती का मध्यमान ८६.२ मध्यका ८६ तथा प्रमाण विचलन ६.४ हैं। उसी प्रकार राजकोट की किशोरीयों की अभिवृत्ती का मध्यमान ८०.८ मध्यका ८० तथा प्रमाणविचलन १०.४ है। प्रमाण विचलन में अंतर जाँचने के लिए ज परिक्षण किया गया, और २.७२ ज मुल्य प्राप्त हुआ है। यह मूल्य ०.०१ स्तर पर (२.५८) अधिक हैं मूल्य अधिक है तो शुन्य परीकल्पना त्याज्य है इसका अर्थ जो परिकल्पना/ गृहितक नागपूर और राजकोट की किशोरीयो की विवाह के प्रति अभिवृत्ती में अंतर होता है इसे पुष्टी मिलती है। अतः इस गृहित क्रमांक १ को स्वीकृत किया गया हैं।

'' ससुराल के बारे में नागपूर तथा राजकोट की किशोरीयों की अभिवृत्ती ''

सारणी क्र. २

अ.क्र.	शहर	अभिवृत्ती	कुल	मध्यमान	मध्यका	प्रमाण विचलन	ज.जमेज
१	नागपूर	ससुराल के प्रति	५०	३७	३६	६.४	१.६२
२	राजकोट	ससुराल के प्रति	५०	३६.४४	४१	४.६२	

सारणी क्र. २ के अनुसार किशोरीयों की ससुराल के प्रति अभिवृत्ती को जाँचने के लिए ज मुल्य ज्ञात करने के लिए मध्यमान, मध्यका, और प्रमाण विचलन का उपयोग किया गया है। नागपूर की किशोरीयों का मध्यमान ३७ और मध्यका ३६ और प्रमाण विचलन ६.४ है। दोनो समुहो में प्रमाण विचलन का अंतर जॉचने के पश्चात प्राप्त ७ मुल्य १. ६२ प्राप्त हुआ है, जो आधार मूल्य .०५ से १.६६ कम है। इसका अर्थ अभिवृत्ती में अंतर अधिक है। यह परिकल्पना को पुश्टी देता है। अतः गृहितक क्रमांक २ को स्वीकृती है।

निष्कर्ष

- नागपूर तथा राजकोट कि किशोरीयों की विवाह के प्रति अभिवृत्ती मे अंतर होने का कारण है, संस्कृति और पारिवारीक पार्श्वभूमि ।

- नागपूर की किशोरीयों के परिवार के सदस्य उन्हे अपने पैरो पर खडे होने के लिए प्रोत्साहीत करते है। अपना जीवनसाथी चुनने का अवसर देते है।

- राजकोट शहर से जो किशोरीयाँ है, उनकी पारिवारीक पार्श्वभूमि उन्हें किशोर वयीन होते ही ससुराल मे जाने के बाद किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, इस बात को लेकर उन्हे हमेशा टिप्पणी के रुप मे समझाया जाता है। इसी कारण राजकोट कि किशोरीयो की विवाह के प्रति अभिवृत्ती नकारात्मक पाई गयी है।
- इसके विपरीत राजकोट की किशोरीयों की ससुराल के प्रति अभिवृत्ती सकारात्मक हैं । इसके पिछे कारण है पारिवारीक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमि। राजकोट कि किशोरीयाँ बचपन से ही परिवार मे देखती है कि उनके माता पिता मे आपसी सुसांवाद भले ही अच्छा ना हो लेकिन माता पिता बडो का आदर, घर के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण रुप से निभा रहे हैं। उसी कारण आज उनका पालन पोषण अच्छा हो रहा हैं। इसलिए वे सोचती है कि विवाह भले ही अपनी पसंद से ना हो , लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसी मे ही अपनी खुशी तथा भलाई हैं।

उपायोजना

१) सर्व प्रथम आज के किशोरों को विवाह पूर्व मार्गदर्शन करना आवश्यक हैं। किशोरों को विवाह अर्थात केवल लैंगिक तृप्तता ही नहीं अपितु समाज का एंवम देश का हित किस प्रकार से आधारित है इसका मार्गदशन व सलाह दि जानी चाहिए। इसी कारण विवाह पूर्व मार्गदर्शन सलाह केंद्र शुरु करना आवश्यक हैं।

२) परिवार के सदस्यों में वैचारिक साम्यता लाना आवश्यक होता है, कारण उन्हें आज के किशोरो का बर्ताव, बोलना उनका रहन सहन पसंद नहीं आता है, परंतु आज यह बदलाव लाना आवश्यक है अन्यथा उनकी प्रगती में बाधानिर्माण हो सकती हैं। इस कारण बडे बजुर्ग को विवाह पूर्व सलाह में शामिल करना आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूचीहिंदी

१.आहुजा रामः भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एंव नई दिल्ली प्रथम संस्करण १९९५

२.डॉ. आगलावे प्रदीप पाश्चात्य और भारतीय समाजशास्त्र ८६

३.गोरे , एम.एस. , (१९६१)''मुल परिवार तथा एकाकी और संयुक्त परिवार,भारतीय सामाजिक व्यवस्था,राम आहुजा''

४.गुप्ता मोतिलाल भारतीय सामाजीक संस्था, दशम संस्करण , २००१

मराठी

१.डॉ. सुलेखा कुंडले संशोधन पध्दती आणि सांख्यकि

२.डॉ. खडसे भा.कि.भारतीय समाज आणि सामाजिक समस्या, हिमालय पब्लिकेशन हाऊस, संस्करण, २००४

३.प्रो. घाटोळे रा.ना. भारतीय समाज व्यवस्था, १७-१६५

English

1.Abasiekong Edet M."Atitude of graduating secondary school students in Nigeria towards inter—tribal marriage", International Journal of Sociological abstract Vol-6 (spring)1976, P-13-20.

2.Barber E. Ray "Marriage and family students attitude on male selection", Sociological Abstract Vol 22.

3.Cavan Marriage and family in modern world.